प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 15.09.2024

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चोरी/छिनैती करने वाले 02 अभियुक्तों को छीने गये मोबाइल फोन व चोरी की मोटरसाईकिल सहित गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 12.09.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी द्वारा लिखित सूचना कि जब वह अपने काम से अपने किराये के घर डूंडाहेडा जा रहा था तो महागुन सोसायटी के पीछे डूंडाहेडा के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र मे मोटर साईकिल सवार 02 अज्ञात व्यक्तियो द्वारा रात्रि के समय उसका फोन छीन कर फरार हो गये। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण हेतु टीमो का गठन किया गया तथा छीने गये मोबाइल फोन एवं अज्ञात अभियुक्तो का पता लगाने का प्रयास किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 15.09.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त (1) रितिक पुत्र अशोक निवासी कमला हाल के पास शिव मंदिर के सामने बिहारीपुरा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष (2) रोहित उर्फ काले पुत्र नरेन्द्र निवासी गांव रोहटा गोल चौराहा के पास थाना कोतवाली जिला बुलन्दशहर हाल पता शिव मंदिर के पास जयराम के मकान में किरायेदार बिहारीपुरा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर सेवियर सोसायटी के सामने खाली पडी जगह थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो के कब्जे से घटना से सम्बन्धित छीना गया मोबाइल फोन IQOO7 PRO VIVO कम्पनी, 2820/- रुपये तथा थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद क्षेत्र से चोरी की मोटर साईकिल स्पलेन्डर प्लस नं0 HR 51-6139 (फर्जी नम्बर प्लेट) जिसका सही नं0 UP14FB7106 है, बरामद हुए। अभियुक्तो के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त गण ने पूछताछ पर बताया गया कि हम दोनो आस पास के क्षेत्रों में घूमते रहते हैं जो महिला या पुरुष कोई फोन या ज्वेलरी पहने होते है हम धीरे से पास जाकर उनसे मोबाइल या ज्वैलरी को छीन लेते है तथा राह चलते व्यक्ति को अपनी मजबूरी बताकर उन्हे सस्ते दामो पर बेच देते है। हमसे जो मोटर साईकिल मिली व वह मोटर साईकिल हमने थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र से चोरी की है तथा पुलिस से बचने के लिए हमने इस मोटर साईकिल की नम्बर प्लेट को बदल दिया था तथा इसी मोटर साईकिल से हम दोनो लोगो ने मिलकर महागुन सोसायटी के पीछे से कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से मोबाइल फोन छीन लिया था, जो हमसे मोबाइल फोन मिला है यह वही मोबाइल फोन है जो हमने उस व्यक्ति से छीना था। इस मोबाइल फोन को हम किसी राह चलते व्यक्ति को बेचना चाहते थे परन्तु उससे पहले पुलिस ने हमे पकड लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–

(1) रितिक पुत्र अशोक निवासी कमला हाल के पास शिव मंदिर के सामने बिहारीपुरा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष।

(2) रोहित उर्फ काले पुत्र नरेन्द्र निवासी गांव रोहटा गोल चोराहा के पास थाना कोतवाली जिला बुलन्दशहर हाल पता शिव मंदिर के पास जयराम के मकान में किरायेदार बिहारीपुरा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

(1) मोबाइल फोन IQOO7 PRO VIVO कम्पनी
(2) 2820 रुपये (जामा तलाशी)
(3) थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद क्षेत्र से चोरी की मोटर साईकिल स्पलेन्डर प्लस रंग काला नं0 HR 51-6139 (फर्जी नम्बर प्लेट) जिसका सही नं0 UP14FB7106.

<u>अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-</u>

अभियुक्त गण उपरोक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर 01 अभियोग लूट व फर्जी नं0 प्लेट लगी हुई चोरी की मोटर साईकिल बरामद होने सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद पर मोटर साईकिल चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त रितिक उपरोक्त के विरुद्ध थाना सै0 63 गौतमबुद्धनगर पर फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मोटर साईकिल बरामद सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-</u>

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मोबाईल फोन बरामद।

दिनांक 14.09.2024 को वादी श्री संदीप पुत्र राजकुमार निवासी मोहल्ला पानी की टंकी नई पुरा लोनी गाजियाबाद द्वारा थाना लोनी पर घर से अपने मोबाइल फोन चोरी के सम्बध मे लिखित सूचना दी गयी। जिसमे थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत कर अभि0 की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 15.09.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र रूपनगर थाना लोनी गाजियाबाद से मोबाईल चोरी करने वाले अभि0 आजाद पुत्र आसिफ निवासी प्रेमनगर थाना लोनी गा0बाद उम्र 18 वर्ष को मय चोरी के मोबाईल फोन वीवो के साथ गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं नशे का आदी हूँ। मैं अपनी नशे की आदतों को पूरा करने के लिए चोरी करता हूँ। मुझसे जो चोरी का मोबाईल मिला है। यह मैंने लोनी क्षेत्र से चोरी किया था। जिसे मैं बेचने के लिए घूम रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

आजाद पुत्र आसिफ निवासी प्रेमनगर थाना लोनी गा0बाद, उम्र करीब 18 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

थाना लोनी पर मोबाईल चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त के अन्य आपराधिक की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

चोरी का 01 मोबाईल फोन वीवो बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 14.09.2024 को थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र कस्बा थाना लोनी गाजियाबाद से एक वाहन चोर अभियुक्त हिमांशु पुत्र राजपाल निवासी पूजा कालोनी पुस्ता चौकी ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस बरामद हुई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं नशे का आदी हूँ। मैं अपनी नशे की आदतों को पूरा करने के लिए चोरी करता हूँ। मुझसे जो चोरी की मोटरसाइकिल मिली है। यह मैंने लोनी क्षेत्र से चोरी की थी। जिसे मैं बेचने के लिए घूम रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

हिमांशु पुत्र राजपाल निवासी पूजा कालोनी पुस्ता चौकी ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

थाना लोनी पर मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त के अन्य आपराधिक की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध 01 तमंचा, 01 कारतूस व 01 चाकू सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 15.09.2024 को थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. राहुल उर्फ उमेश पुत्र सर्वेश नि० विनोद के मकान में किरायेदार ग्राम गढी जस्सी थाना लोनी गा०बाद मूल पता ग्राम नगला ससईया थाना कम्पिल जिला फर्रुखाबाद उम्र करीब 19 वर्ष 2. इस्माईल पुत्र दिलशाद नि० दीपू के मकान में किरायेदार गली न0-06 एफ ब्लाक खजूरी के पास थाना खजूरी दिल्ली उम्र करीब 18 वर्ष को मय अवैध 01 देशी तमन्चा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व अवैध 01 चाकू सहित चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभि० गण ने बताया कि हम अपनी नशे की आदतो को पूरा करने के लिए आने जाने वाले व्यक्तियो से तमंचा व चाकू दिखाकर डरा धमकार पैसे व सामान छीन ले लेते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1. राहुल उर्फ उमेश पुत्र सर्वेश नि० विनोद के मकान में किरायेदार ग्राम गढ़ी जस्सी थाना लोनी गा०बाद मूल पता ग्रामनगला ससईया थाना कपिल्य जिला फर्रुखाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

2. इस्माईल पुत्र दिलशाद नि० दीपू के मकान में किरायेदार गली न0-06 एफ ब्लाक खजूरी के पास थाना खजूरी दिल्ली उम्र करीब 18 वर्ष,

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग- अभियुक्तों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

अवैध 01 देशी तमन्चा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अवैध चाकू बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम गाजियाबाद

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा रेस्टोरेन्ट/कैफे में घुसकर तमंचा व चाकू दिखाकर स्टाफ को धमकाने व गाली-गलौच कर कैफे में तोड़फोड़ करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस व 01 अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 14.09.2024 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी श्री पुष्कर पुत्र गोपाल सिंह द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि मेरे नियोर कैफे/रेस्टोरेन्ट श्री राम चौक पर दिनांक 12/13.09.2024 की रात्रि में तीन लोगों द्वारा घुसकर स्टाफ को तमंचे व चाकू दिखाकर घमकी देकर मारपीट व तोड़फोड़ की गई। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना इन्दिरापुरम पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए दिनांक 14.09.2024 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उक्त घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1. मनीष पुत्र ओमपाल निवासी बादशाहपुर सिरोली थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष व 2. अनुप पुत्र श्यौराज निवासी सरफुद्दीनपुर जावली थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष को रशिका फार्म हाउस शक्तिखन्ड 4 से गिरफ्तार कर कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस व 01 अवैध चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मनीष पुत्र ओमपाल व अनुप पुत्र श्यौराज उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त मनीष पुत्र ओमपाल व अनुप पुत्र श्यौराज उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि हम 12/13.09.2024 की रात्रि में अपने दोस्त हिमांशू पुत्र अनिल कुमार निवासी राम बिहार बंथला लोनी गाजियाबाद के साथ श्री राम चौक पर नियोर रेस्टोरेन्ट / कैफे में तनवीर की तलाश में गये थे। लेकिन वहाँ पर तनवीर नही मिला तो हमने एक व्यक्ति के पेट पर डराने के लिये तमंचा लगा दिया था तथा दूसरे व्यक्ति को चाकू दिखाकर डराकर बैठा दिया और होटल में तोड़फोड़ की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. मनीष पुत्र ओमपाल निवासी बादशाहपुर सिरोली थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।
2. अनुप पुत्र श्यौराज निवासी सरफुद्दीनपुर जावली थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- 01 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस व 01 अवैध चाकू बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम

प्रेस नोट साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम

आज दिनांक 15.09.2024 को समय 11 बजे आर्य समाज मन्दिर सेक्टर 05 राजनगर गाजियाबाद में सुश्री मेघना बंसल, संस्थापक, पैराडाइज क्लब गाजियाबाद द्वारा थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट गाजियाबाद के सहयोग से साइबर क्राइम से बचाव हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं द्वारा सन्चालित इस पैराडाइज क्लब द्वारा आयोजित इस साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम में क्षेत्र की महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में श्री सच्चिदानन्द, अपर पुलिस उपायुक्त अपराध, सुश्री श्वेता यादव सहायक पुलिस आयुक्त साइबर क्राइम तथा श्री सन्तोष कुमार तिवारी थाना प्रभारी थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट गाजियाबाद ने लोगों को साइबर अपराध से बचाव के सम्बन्ध में जानकारी दी तथा लोगों के साइबर क्राइम सम्बन्धी जिज्ञासाओं को शान्त किया।

इस साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं को साइबर अपराध से बचाव हेतु अपराध वार जागरूक किया गया।

1. **शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड**

   साइबर अपराधी इन्स्टाग्राम/फेसबुक पर शेयर ट्रेडिंग सम्बन्धित AI द्वारा बनाये गये प्रतिष्ठित व्यक्तियों के फेक वीडियो विज्ञापन द्वारा प्रलोभित कर शेयर ट्रेडिंग सम्बन्धित टिप्स देने के लिये WhatsApp ग्रुप्स पर पीडित को जोड़कर एवं फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराते हैं। इन फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप पर शेयर ट्रेडिंग हेतु झांसा देकर, विभिन्न बैंक खातों में पैसा जमा कराते हैं। जब इन ट्रेडिंग से कमाया हुआ पैसा पीडित निकालने का प्रयास करता है तो विभिन्न टैक्स के नाम पर अतिरिक्त पैसे जमा कराने की कोशिश करते हैं। जब पीडित पैसा नहीं निकाल पाता तब उसे अपने साथ हुए साइबर फ्रॉड का पता चलता है।

   ऐसे शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड से बचने के लिये शेयर ट्रेडिंग सदैव अधिकृत कम्पनी के माध्यम से ही करें। शेयर ट्रेडिंग हेतु अधिकृत कम्पनी के ही बैंक एकाउण्ट में पैसा जमा करें। प्रत्येक शेयर ट्रेड के बाद सम्बन्धित कम्पनी से शेयर एलॉटमेंट की ईमेल चेक करें। Institutional Account द्वारा कम्पनी से सीधे IPO दिलाने के झाँसे में न आयें।

2. **टेलीग्राम टास्क फ्रॉड**

   साइबर अपराधी वर्क फ्रॉम होम के जरिये घर बैठे पैसे कमाने का लालच देकर Telegram या WhatsApp के माध्यम से विभिन्न प्रतिष्ठानों के Google रिव्यू देने पर पैसे मिलने का लाभ दिखाते हैं। शुरुआत में Google रिव्यू टास्क कराकर कुछ पैसे पीडित को देते हैं, उसके बाद Prepaid Task के नाम पर पैसे जमा करवाते हैं। इस टास्क के माध्यम से कमाये गये पैसे जब पीडित निकालने का प्रयास करता है तो ये अपराधी और टास्क Complete करने को या पैसा निकालने के लिये विभिन्न टैक्स जमा कराने के नाम पर और अधिक पैसे जमा कराते हैं। पीडित ज्यादा पैसा पाने के लालच में टैक्स के नाम पर या टास्क कम्पलीट करने के नाम पर और पैसे जमा करते जाते हैं। पीडित जब पैसे नहीं निकाल पाता तब उसे अपने साथ हुए साइबर फ्रॉड का पता चलता है

ऐसे टेलीग्राम टास्क फ्रॉड से बचने के लिये वर्क फ्रॉम होम के नाम पर टेलीग्राम या व्हाटसएप मैसेज को रेस्पॉन्ड करने से बचें। गूगल रिव्यू के नाम पर प्रीपेड टास्क से बचें। किसी भी अधिकृत कम्पनी द्वारा विभिन्न नाम के बैंक एकाउण्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है।

3. सेक्सटॉर्सन फ्रॉड

सेक्सटॉर्सन फ्रॉड में साइबर अपराधियों द्वारा फेसबुक मैसेंजर/व्हाटसअप पर 20 से 65 वर्ष की उम्र के पुरुषों की Profile फोटो देखकर उन्हें टारगेट बनाया जाता है। के माध्यम से चैटिंग की जाती है तथा पीड़ित की समस्त सोशल मीडिया एकाउण्ट की जानकारी कर लेते है। पीडित के मोबाइल पर WhatsApp / फेसबुक मैसेंजर से Video Call लड़कियों से कराते हैं। Video Call पर लड़की अपने कपड़े निकाल देती है तथा इस Video Call की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। इसके बाद साइबर अपराधियों द्वारा पीडित को पुलिस अधिकारी/ YouTube अधिकारी बनकर YouTube पर वीडियो वायरल करने तथा पीडित के परिचितों की सोशल मीडिया से डिटेल लेकर उनको भेजने का भय दिखाकर ब्लैकमेल कर पैसे वसूलते हैं।

ऐसे सेक्सटॉर्सन फ्रॉड से बचने के लिये अन्जान लोगों की वीडियो कॉल न उठायें। अपनी निजी जानकारी, फोटो, वीडियो इत्यादि सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनजान लोगों से दोस्ती करने से बचें, सोशल मीडिया प्रोफाइल की ''प्राइवेसी सेटिंग्स'' में यह चयन करने का विकल्प देती है कि कौन आपके पोस्ट व फोटो देख सकता है एवं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है। इन्हीं सेटिंग्स में "My Friends Only" सेटिंग का चयन कर अनजान लोगों को अपने प्रोफाइल तक पहुँचने से रोकें अगर आपके साथ सेक्सटॉर्सन का साइबर फ्रॉड हो जाता है तो तत्काल पुलिस से शिकायत करें एवं अपराधियों को पैसे न दें।

4. फेडेक्स कोरियर / डिजिटल अरेस्ट

साइबर अपराधियों द्वारा पीडित के पास FedEx Courier के नाम से फोन कॉल की जाती है कि आपके नाम से Courier बुक कराया गया है, जिसमें US Dollar, Drugs, Mobile Sim, Fake Passport आदि मिले हैं, जिसकी शिकायत नारकोटिक्स सेल को कर दी गयी है। FedEx Courier वाला नारकोटिक्स सेल वालों को कॉल ट्रांसफर करने का दिखावा करता है। नारकोटिक्स सेल वाला Skype app पर वीडियो कॉल से जुडने के लिये कहकर वीडियो कॉल पर पीडित को ले लेते हैं और उसे Fake पुलिस अधिकारी ID , Arrest Warrant शेयर करते हैं। साइबर अपराधी Skype Video Call पर पीडित को बैकग्राउण्ड में पुलिस थाने का सेटअप दिखाकर पीडित को डराकर उसके अकाउंट की डिटेल लेकर अपने खातों में पैसे ट्रॉस्फर करा लेते हैं। चूँकि इस अपराध के दौरान साइबर अपराधी पीडित को डराकर उसे किसी से सम्पर्क नही करने तथा घर से बाहर नहीं निकलने देते इसलिये इसे मीडिया द्वारा डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है।

ऐसे फेडेक्स कोरियर / डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड से बचने के लिये कोरियर सम्बन्धित किसी भी अनजान कॉल पर रेस्पॉन्ड न करें , स्काइप वीडियो कॉल से न जुड़ें , बैंक के एकाउण्ट डिटेल न दें। इस तरह की कॉल आने पर पुलिस से तत्काल शिकायत करें।

5. **पुलिस थ्रेट फ्रॉड**

साइबर अपराधी पुलिस वाला बनकर पीडित को कॉल कर कहते हैं कि आपका बेटा रेप केस में या बेटी ड्रग्स के केस में फंस गई है। Artificial Intelligence का प्रयोग कर सोशल मीडिया से उसकी आवाज की कॉपी कर उस बच्चे की रोते हुए एवं बचाने की आवाज सुनवाकर पीडित को पूरी तरह झांसे मे ले लेते हैं। पीडित से साइबर अपराधी कहता है कि अगर तुरन्त पैसे ट्रांसफर कर दो तो वो उसे छोड़ देंगे। पीडित भयवश पैसे ट्रांसफर कर देता है। पीडित को बाद में अपने साथ हुए साइबर फ्रॉड का पता चलता है।

ऐसे पुलिस थ्रेट फ्रॉड से बचने के लिये इस तरह की कॉल आने पर सबसे पहले अपने बच्चे से सम्पर्क करें इस तरह की कॉल आने पर पुलिस से तत्काल शिकायत करें

6. **फोन हैक / कस्टमर केयर फ्रॉड**

पीडित जब गूगल पर किसी कम्पनी/बैंक आदि के कस्टमर केयर का नम्बर सर्च कर कम्पनी/बैंक की अधिकृत बेवसाइट से नम्बर न लेकर अन्य जगह से नम्बर ले लेता है जोकि साइबर अपराधियों का नम्बर होता है। पीडित इन नम्बरों पर कॉल करता है तो साइबर अपराधी उसकी समस्या हल करने के लिए कम्पनी का कस्टमर केयर एप के नाम पर Remote Access App की APK फाइल/ऐप डाउनलोड कराकर मोबाइल का रिमोट कन्ट्रोल एक्सेस ले लेते हैं। पीडित के मोबाइल को हैक कर उसका कन्ट्रोल लेकर उसके मोबाइल बैंकिग का उपयोग कर पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं।

ऐसे फोन हैक / कस्टमर केयर फ्रॉड से बचने के लिये कस्टमर केयर का नम्बर सदैव अधिकृत बेवसाइट से ही लें। किसी भी अनधिकृत लिंक के माध्यम से कोई भी ऐप डाउनलोड न करें। इस तरह कोई ऐप यदि मोबाइल में डाउनलोड हो जाये तो मोबाइल का इन्टरनेट तुरन्त बन्द कर दें तथा तत्काल पुलिस से शिकायत करें।

साइबर क्राइम होने पर क्या करें

- वित्तीय साइबर फ्रॉड होने पर 1930 पर कॉल करें
- सभी प्रकार की साइबर अपराध की घटना पर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) की वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
- अपने थाने की साइबर सेल से सम्पर्क करें।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा अश्लील हरकत करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

दिनांक 14.09.2024 को थाना अंकुर विहार पर वादी द्वारा तहरीर दी कि साबिर नाम के व्यक्ति द्वारा आवेदक की पुत्री उम्र करीब 06 वर्ष के साथ अश्लील हरकत की गई है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना अंकुर विहार द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई।

तत्पश्चात थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त साबिर हुसैन पुत्र खलील अहमद निवासी बालाजी मन्दिर के पास चमन विहार, थाना अंकुर विहार गाजियाबाद को चमन विहार

थाना अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त साबिर हुसैन पुत्र खलील अहमद उपरोक्त ने बताया कि कल शाम को मैने अपने पडोस में रहने वाली एक 06 साल की बच्ची को अपने पास बुलाकर अश्लील हरकत कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

साबिर हुसैन पुत्र खलील अहमद निवासी बालाजी मन्दिर के पास चमन विहार, थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 62 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरणः-

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना अंकुर विहार कमि0 गा0बाद पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को चोरी की 04 मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 15.09.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1.रितिक पुत्र यादराम निवासी लाल मन्दिर के पास विजय विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद 2. सचिन पुत्र नवलकिशोर शर्मा निवासी जीजा नितिन शर्मा के मकान में किराये पर हर्ष मार्डन स्कूल, हनुमान मन्दिर के पास विजय विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त की निशादेही पर चोरी की 04 मोटर साईकिलें बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि साहब हम दोनो मोटर साईकिलें चुराकर उन्हे लोगों को बेच देते है और मुनाफा आपस में बांट लेते है। ये मोटरसाइकिले भी हमने अलग अलग जगहों से चोरी की थी, जिन्हे हमने बेचने के लिए छिपाकर रखा हुआ था। आज हम इन मोटर साईकिल को बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश में निकले थे, कि आपने हमें पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता –

1. रितिक पुत्र यादराम निवासी लाल मन्दिर के पास विजय विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष

2. सचिन पुत्र नवलकिशोर शर्मा निवासी जीजा नितिन शर्मा के मकान में किराये पर. हर्ष मार्डन स्कूल, हनुमान मन्दिर के पास विजय विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण

1. स्प्लैण्डर प्लस मोटरसाइकिल रजि0 न0 DL5SBB9016 चैसिस नम्बर MBLHAR085HHE18760 व इंजन नम्बर HA10AGHHEB5080 सम्बन्धित मु0अ0सं0 297/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना अंकुर विहार गाजियाबाद
2. पल्सर मोटरसाइकिल रजि0 न0 UP46M2107 चैसिस नम्बर MD2A11CX6LRM46230 व इंजन नम्बर DHXRLM91066 सम्बन्धित मु0अ0सं0 298/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना अंकुर विहार गाजियाबाद
3. पैशन मोटरसाइकिल रंग काला रजि0 न0 DL5SBW6586 चैसिस न0 MBLJA12AEFGA02891 व इंजन न0- JA12ABFGA09489 सम्बन्धित FIR No. 011922 e POLICE Station MV Theft (crime branch Delhi)
4. स्प्लैण्डर प्लस मोटरसाइकिल रजि0 न0-DL3SDJ9250 चैसिस न0- MBLHA10CGGHJ27388 व इंजन न0- HA10ERGHJ38245 सम्बन्धित FIR No. 025676/24 e POLICE Station MV Theft (crime branch Delhi)

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त रितिक उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व से चोरी के 05 अभियोग व मारपीट का 01 अभियोग थाना अंकुर विहार पर तथा चोरी के 02 अभियोग ई-पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली पर पंजीकृत है तथा अभियुक्त सचिन उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व से चोरी के 02 अभियोग थाना अंकुर विहार पर तथा चोरी के 02 अभियोग ई-पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली पर पंजीकृत है।

गिरफ्तार /बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा दुकान में चोरी करने वाले अभियुक्त को चोरी के 3350 रुपये सहित गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 12.09.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी द्वारा लिखित सूचना कि उसकी दुकान (मदर डेरी) पूरन नगर बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में अज्ञात चोरो द्वारा दिनांक 11.09.2024 की रात्रि मे दुकान के शटर का ताला तोड कर गल्ले मे रखे 18 हजार रुपये व कुछ अन्य घरेलू सामान चोरी कर लिये गये है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया तथा चोरी गये रुपये व सामान एवं अज्ञात अभियुक्तो का पता लगाने का प्रयास किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 15.09.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त विवेक पुत्र करण सिंह निवासी एच-ब्लाक सैक्टर-9 थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को रिछपाल गढी की पुलिया के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से उपरोक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित चोरी के शेष बचे 3350/- रुपये का बरामद हुए। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि मै नशे करने का आदी हूँ तथा अपने नशे की पूर्ति के लिए छोटी मोटी चोरी अपने साथी बोबी के साथ मिलकर करता रहता हूँ। कुछ दिन पूर्व मैने अपने साथी बोबी पुत्र पप्पू निवासी जल प्लांट रोड बीयर के ठेके के पीछे वाली गली के साथ मिलकर बागू में मदर डेयरी की दुकान के शटर के ताले तोड़कर गल्ले में से 18000 रूपये चोरी किये थे उन 18000 रूपये में जो 3350 रूपये बचे है जो मेरे पास मिले है, यह वही 3350 रूपये है जो हमने चोरी किये थे बाकी के पैसे हमने नशे व मौज मस्ती में खर्च कर दिये है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–

विवेक पुत्र करण सिंह निवासी एच-ब्लाक सैक्टर-9 थाना विजयनगर गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष।

नाम पता फरार अभियुक्त–

बोबी पुत्र पप्पू निवासी जल प्लांट रोड बीयर के ठेके के पीछे वाली गली थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

चोरी के शेष बचे 3350/- रुपये।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर नकबजनी व थाना विजयनगर पर अवैध गांजा तस्करी करने से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 14.09.2024 को थाना मोदीनगर पर आवेदिका/पीडिता द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिया कि अभियुक्त 1-भानू मलिक पुत्र अजमेर सिंह निवासी तिबडा रोड भूपेन्द्रपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद व 2- अभिषेक साँगवान निवासी अज्ञात द्वारा आवेदिका को किसी मकान मे ले जाकर आवेदिका के साथ छेडखानी करने व सम्बन्ध बनाने की कोशिश करने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ। जिस पर थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा तत्काल सुंसगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 14.09.2024 थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर रात्रि चेकिंग व गश्त के दौरान अभियुक्त भानू मलिक उर्फ कुल्हड पुत्र अजमेर सिंह निवासी तिबडा रोड गली नम्बर 06 भूपेन्द्रपुरी थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को रेलवे रोड मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त भानू उर्फ कुल्हड उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब दिनांक 12.09.2024 को मै अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य मे अपने दोस्तो के साथ पार्टी करने के लिए आया था कि मैने आवेश मे आकर अपनी दोस्त / पीडिता के साथ उक्त कार्य कर दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

भानू उर्फ कुल्लहड पुत्र अजमेर सिंह जाट नि0 तिबडा रोड गली न0 6 भूपेन्द्रपुरी थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना मोदीनगर पुलिस टीम

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 14.09.2024 को वादी श्री जयवीर सिंह S/O श्री चरण सिंह नि0 9/46 बलराज नगर लोनी रोड लोनी गा0बाद ने थाना लोनी बोर्डर पर एक तहरीर अज्ञात व्यक्ति द्वारा मो0सा0 चोरी होने के सम्बन्ध में दाखिल की थी। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के सफल अनावरण हेतु मैनुअल इनपुट सीसीटीवी कैमरे एवं मुखबिर की मदद ली गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 15.09.2024 को थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त राहुल पुत्र मांगेराम निवासी जवाहर नगर आनन्द मैमोरियल स्कुल के पास थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को नहर की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की एक मोटर साईकिल स्पलेण्डर बरामद की गयी। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभि0 ने पूछने पर बताया कि साहब यह मोटर साइकिल मैंने 12.09.2024 की रात को ओयो होटल की नीचे से जौहरी इन्कलेव मैट्रो के पास थाना लोनी बार्डर से चोरी की थी। इस पर कोई नम्बर प्लेट नही थी जिसको मैने छिपाकर खडी कर रखा था। आज मैं इसे बेचने के लिये ले जा रहा था कि आपने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

राहुल पुत्र मांगेराम निवासी जवाहर नगर आनन्द मैमोरियल स्कुल के पास थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बोर्डर पर 01 मुकदमा चोरी का पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बोर्डर गा0बाद पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12.09.2024 को थाना साहिबाबाद पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गई और बताया कि दिनांक 01.07.2024 को अभियुक्त देव उर्फ दानिश पुत्र अलीम निवासी बडा मोहल्ला कस्बा व थाना धौलाना जिला हापुड द्वारा अपना नाम व जाति छिपाकर वादिया को शादी का झांसा देकर वादिया के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना व शादी करने के लिये कहने पर मारपीट करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी जिसके सम्बन्ध में थाना कपूरपुर जनपद हापुड पर जीरो एफआईआर /2024 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था। जिसका घटनास्थल थाना साहिबाबाद होने के कारण जीरो एफआईआर /2024 स्थानान्तरित कर सुसंगत धाराओं में थाना साहिबाबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त विवेचना के दौरान आज दिनांक 15.09.2024

को अभियुक्त देव उर्फ दानिश पुत्र अलीम निवासी बडा बाजार मौहल्ला कस्बा व थाना धौलाना जिला हापुड उम्र 23 वर्ष को रेलवे स्टेशन साहिबाबाद से गिरफ्तार कर आभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त देव उर्फ दानिश से पूछताछ करने पर बताया कि वादिया/पीडिता से मेरी मुलाकात वर्ष 2023 में गाजियाबाद में हुई थी। ड्राइविंग लाइसेन्स बनवाने के लिए मैने वादिया का मोबाइल नम्बर लिया था। फिर हम दोनों की दोस्ती हो गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

देव उर्फ दानिश पुत्र अलीम निवासी बडा बाजार मौहल्ला कस्बा व थाना धौलाना जिला हापुड उम्र 23 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के पोस्टर बोर्ड उखाड़ने वाले 4 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 14/15.09.2024 की रात्रि मे अज्ञात व्यक्तियो द्वारा नारायण फार्म हाउस के पास थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक मे डा0 भीमराव अम्बेडकर के पोस्टर बोर्ड को उखाड कर चोरी करने के सम्बन्ध मे थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर अज्ञात अभियुक्तो के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण व अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु टीमो का गठन किया गया।

घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत उक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्तो की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शिनाख्त करते हुए सौरभ यादव व 03 अन्य अभियुक्तो को आज दिनांक 15.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर बहरामपुर अन्डरपास के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि नारायण फार्म हाउस के पास बने चौराहे पर डा0 भीमराव अम्बेडकर के पोस्टर का बोर्ड लगाया गया था, जिससे वहां आवागमन प्रभावित हो रहा था। इसी कारण रात्रि मे हम लोगो ने मौका देखकर चोरी छिपे वहां लगे बोर्ड को उखाड कर ले गये।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण–

(1) सौरभ यादव पुत्र टेकचन्द यादव निवासी निकट बिजली घर अकबरपुर बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

(2) अंशुल यादव पुत्र टेकचन्द यादव निवासी निकट बिजली घर अकबरपुर बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

(3) प्रिंस यादव पुत्र प्रीतम यादव निवासी मंगल बाजार रोड अकबरपुर बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

(4) सुनील कुमार पुत्र तिलगराज निवासी मंगल बाजार रोड अकबरपुर बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

अभियुक्त गण का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त प्रिंस यादव उपरोक्त थाना विजयनगर से हत्या के प्रयास के अभियोग मे जेल जा चुका है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।